न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 31/1999 (पुराने मुकदमा संख्या) नए मुकदमा संख्या 73/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/225

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.उकाराम पुत्र मंशाजी 2.लेखाराम पुत्र मंशाजी जाति पुरोहित निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.उदाराम पुत्र मोड़ाराम जाति प्रजापत निवासी भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी 2.उमाराम पुत्र पूनमाराम जाति प्रजापत निवासी ओगाला तहसील चोहटन 3.ओमसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपूत निवासी फौजोणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी 4.कमलेश पुत्र गोरधनसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.करणसिंह पुत्र धर्मेन्द्रसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.किशनलाल पुत्र धुड़ाराम जाति जाट निवासी ओगाला तहसील चौहटन 7.खातीजा पत्नी करीम खां जाति मुसलमान निवासी ओगाला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 8.गणपतसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा तहसील पचपदरा 9.गणपतसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10.गोरखाराम पुत्र गंगाराम जाति प्रजापत निवासी जसोल

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

11.चुकीदेवी पत्नि भीमराज
जाति जाट साकिन गोलिया

12.चेतनराम पुत्र नवलाराम
जाति जाट साकिन माडपुरा

13.चेतनराम पुत्र वीरमाराम
जाति जाट साकिन माडपुरा

14.चुन्नीलाल पुत्र भगवानाराम
जाति प्रजापत निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

15.चेनाराम पुत्र भारूराम
जाति ओसवाल साकिन माडपुरा

16.जूठाराम पुत्र रूपाराम
जाति प्रजापत साकिन भूका

17.जयसिंह पुत्र वगतसिंह
जाति राजपूत
निवासी फोजोणियों की ढाणी

18.जोगसिंह पुत्र प्रभुसिंह
जाति जाट साकिन जसोल

19.डूंगरचंद पुत्र लादूराम
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

20.डूंगराराम पुत्र मालाराम
जाति जाट निवासी नई

21.डालूराम पुत्र उदाराम
जाति प्रजापत साकिन भूंका

22.तुलछाराम पुत्र नानगाराम
जाति जाट निवासी भीमड़ा

23.दयाराम पुत्र चिमनाराम
जाति जाट साकिन नाकोड़ा

24.देवाराम पुत्र जवानाराम
जाति प्रजापत साकिन भूंका

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

	25.दिव्या पुत्री धर्मेन्द्रसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल 26.दीपकसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल 27.धनाखां पुत्र मेहरीखां जाति मुसलमान निवासी जसोल 28.धीगड़मल पुत्र छोगाजी जाति जाट निवासी जसोल 29.धीरजसिंह पुत्र धर्मेन्द्रसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल 30.नेनाराम पुत्र दाउराम जाति जाट निवासी माडपुरा 31.नरेन्द्रसिंह पुत्र मांगसिंह जाति जाट निवासी माधपुरा 32.पदमाराम पुत्र भीखाराम जाति नाई निवासी लापला 33.प्रकाश पुत्र घनश्याम जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 34.पुरखाराम पुत्र उदाराम जाति प्रजापत निवासी भूंका 35.पूरणाराम पुत्र विरमाराम जाति जाट निवासी सियोगा 36.प्रतापसिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल 37.प्रभुलाल पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी जसोल 38.भुराराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी माडपुरा 39.भेराराम पुत्र मूलाराम जाति ओसवाल निवासी जसोल 40.भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाति पुरोहित निवासी माजिवाला

41.मिसरा खां पुत्र सोना खां

जाति मुसलमान साकिन नाकोड़

42.राधादेवी पत्नी भोजाराम

जाति ओसवाल निवासी भीमड़ा

43.रामगोपाल पुत्र उदाराम

जाति जाट निवासी कवास

44.रामाराम पुत्र धन्नाराम

जाति जाट निवासी खारिया

45.लुम्भाराम पुत्र पुनमाराम

जाति जाट निवासी ओगाला

46.विराराम पुत्र पदमाराम

जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

47.विशनाराम पुत्र हरदानराम

जाति जाट निवासी गोलिया

48.शंकरसिंह पुत्र गोकलसिंह के वारिसान

48/1.दरिया कंवर पत्नि शंकरसिंह

48/2.लाभुसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/3.हेमसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/4.गणपतसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/5.पुष्पाकंवर पुत्री शंकरसिंह

48/6.एवन कंवर पुत्री शंकरसिंह

निवासी सिणली

49.संतोष कंवर पत्नि धर्मेन्द्रसिंह

जाति पुरोहित निवासी जसोल

50.संतोष कंवर पत्नी उदयसिंह

जाति राजपूत निवासी बालोतरा

51.सुन्दरदेवी पत्नी धींगड़मल

जाति जाट निवासी ओगाला

52.सीतादेवी पत्नी गोरधनसिंह

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाति पुरोहित निवासी जसोल

53.हड़मतसिंह पुत्र वगतसिंह

जाति राजपूत

निवासी फोजोणियों की ढाणी

54.हेमसिंह पुत्र किशोरसिंह

जाति राजपूत निवासी बालोतरा

55.हेमाराम पुत्र लूम्बाराम

जाति जाट निवासी बालोतरा

56.हरीसिंह पुत्र गोरधनसिंह

जाति पुरोहित निवासी जसोल

57.पांचीदेवी पत्नी शंकरलाल

जाति पुरोहित निवासी जसोल

58.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

59.पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र दुर्गा

के वारिसानः–

59/1.भूरसिंह पुत्र पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह

59/2.बाबुसिंह पुत्र पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह

59/3.दयालसिंह पुत्र पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह

59/4.तगूदेवी पत्नी पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह जाति पुरोहित निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

59/5.चूकीदेवी पुत्री पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह पत्नी शंकरसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा

59/6.कमलादेवी पुत्री पिथा उर्फ पृथ्वीसिंह पत्नी मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी 1070 साचौला मध्य, इन्द्राणा तहसील सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

	60.जसराज पुत्र नेमा जाति राजपुरोहित निवासी माजीवाला 61.गोविन्दसिंह पुत्र नेमा जाति राजपुरोहित निवासी माजीवाला 62.धर्मेन्द्रसिंह पुत्र नेमा जाति राजपुरोहित निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता वादीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62

3.प्रतिवादी संख्या 1 से 56 व 58 एकतरफा

निर्णय

दिनांक– 24.09.2025

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा–काश्त पहले वादीगण के पूर्वजो का,बाद में वादीगण का लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। पर्चा लगान के अनुसार लाला, हाथी पिसरान् खुशाला 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान् दरगा, मथरा बेवा भोमा, सीताराम वल्द हेमा 1/8 हिस्सा, पुरखा बुधा पिसरान् चेला 1/32 हिस्सा, गोरधन पुनमा जेठा पिसरान हाथी 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू 1/16 हिस्सा दर्ज हैं,जो कि वादीगण के हिस्से गलत दर्ज हो रखे हैं,जबकि हाथी का हिस्सा 3/8 दर्ज होना चाहिए था। हाथी के दो पुत्र वादीगण के पिता मंशाराम व शंकर है,शंकर द्वारा अपना 1/16 हिस्सा बेचान कर देने के बाद वादीगण का कुल हिस्सा 5/16 बनता है। शंकर कुंवारा फौत होने के कारण उसका हिस्सा वादीगण में निहित हो गया हैं। सेटलमेंट अधिकारीयों को हाथी का 1/4 हिस्सा पृथक से दर्ज करना चाहिए था,लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल से खुशाला के दो पुत्र लाला, हाथी का सयुंक्त रूप से अशुद्ध हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया,जबकि वक्त सेटलमेंट से हाथी का 3/8 हिस्से पर कब्जा काश्त था, परन्तु सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा केवल 1/8 हिस्सा ही गलत दर्ज किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा दर्ज हिस्से को अगर जोड़ा जावे तो भी कुल इकाई 3/4 हिस्सा बनता हैं,इस प्रकार 1/4 हिस्सा रेकर्ड में कम दर्ज हुआ हैं,जो कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारीयो के नाम दर्ज होना चाहिए था। अन्य खातेदारों का हिस्सा सही दर्ज था व इसी आधार पर कई खातेदारो ने अपने हिस्से प्रतिवादी के नाम बेचान कर दिए हैं व हिस्से के अनुसार ही भूमि पर काबिज हैं। वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा दुरस्ती करवाने का निवेदन किए जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा टालम टोल की गई। रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि इन्द्राज होने के कारण वादीगण के हक हकूको के साथ कुठराघात हो रहा हैं। अतः ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा भूमि में से 5/16 हिस्सा वादीगण की खातेदारी घोषित करवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया हैं।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्री सम्मन् तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी की सम्यक तामीली नहीं होने पर दैनिक स्थानीय अखबार में दिनांक 02.04.2024 को सम्मन् छायाकंन करवाए गए। प्रतिवादी की सम्यक तामिली हुए। प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा वकालातनामा पेश कर वादीगण के वाद–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उक्त प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय प्रतिपवाद पेश किया गया। अधिवक्ता श्री अरिहंत तातेड़ द्वारा प्रतिवादी संख्या 56 की तरफ से वकालातनामा पेश किया गया। श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 48/1 से 48/6 की तरफ से वकालातनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 48/1 से 48/6 व 56 अधिवक्तों को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 अधिवक्ता को छोड़ते हुए शेष प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वक्त बहस के समय प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3. प्रतिवादी संख्या 57 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार ग्राम जसोल के खसरा संख्या 344 का मूल रकबा 276.01 बीघा था,तदोपंरात उक्त खसरान् के तरमीम खसरान् बनने से दो भागों में उक्त भूमि विभक्त हुई, जिनमें खसरा संख्या 344 वर्तमान नये खसरा संख्या 1420/344 का रकबा 231.06 बीघा व खसरा संख्या 344/01 वर्तमान खसरा संख्या 1421/344 रकबा 44.15 बीघा बने। वक्त सेटलमेंट काबिज खातेदारान् का हिस्सा पर्चा खतौनी संवत् 2006 के अनुसार लाला हाथी विसरान्

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खुशाला 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भीमा, सीताराम वल्द हेमा 1/8 हिस्सा, पुरखा बुधा पिसरान् चेला 1/32 हिस्सा, गोरधन पुनमा जेठा पिसरान हाथी 1/32 हिस्सा, पीथा वल्द राजू 1/16 हिस्सा दर्ज हुआ था तथा उसीनुसार खतौनी में दर्ज अंकित किया जाना था,लेकिन सेंटलमेंट अधिकारियों की लिपिकीय त्रुटिवंश प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी पीथा, नेमा पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भोमा सीताराम पुत्र हेमाराम का जो हिस्सा 1/4 + 1/8 दर्ज होना चाहिए था,लिपीकीय त्रुटि से सभी का 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया,जबकि शेष 1/4 हिस्सा पीथा नेमा पिसरान् दरगा व मथरा बेवा भोमा के नाम दर्ज होना चाहिए था। सीताराम पुत्र हेमाराम के 1/8 हिस्सा में देवीजी वारिस था,देवीजी के दो पुत्र हनुमानसिंह व छगनसिंह द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 सप्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.11.1996 को पांचीदेवी को बेचान किया तथा वक्त बेचान से आदिनांक पांचीदेवी का 1/8 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड में अशुद्ध हिस्सा दर्ज करने के कारण विवाद चला आ रहा हैं। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1420/344 रकबा 37.4415 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1421/344 रकबा 4.2439 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीनी पांचीदेवी के खरीदशुदा 1/8 हिस्सा का खातेदारी घोषित की जाकर वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि प्रतिवादीनी के कब्जा–काश्त में कोई दंखल हस्तक्षेप न हो स्वंय पारित करे और न ही अन्य किसी से करावे।

4. प्रतिवादी संख्या 59 से 62 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादीगण द्वारा वाद मनगढंत तथ्यों के आधार पर लाया गया हैं,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का वक्त सेटलमेंट के समय मौका कब्जा स्थितिनुसार सही हिस्सा दर्ज हो रखा हैं। वादीगण का कथन गलत है कि हाथीजी का 3/8 हिस्सा हो। जबकि वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान के अनुरूप ही खतौनी में अमल दरामद किया जाना चाहिए था,लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों की लिपीकीय त्रुटिवंश प्रतिवादी पीथा व प्रतिवादी जसराज, गोविन्दसिंह व धर्मेन्द्रसिंह के पिता नेमा व मथरा बेवा भोमा का हिस्सा 1/4 व सीताराम बेवा हेमाराम का हिस्सा 1/8 पृथक–पृथक दर्ज करने के बजाय शामलाती 1/8 हिस्सा रेकर्ड में गलत दर्ज किया गया,जिनके कारण विवाद पैदा हुआ। जबकि प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी पीथा, नेमा पिसरान् दरगा, मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा व सीताराम वल्द हेमाराम 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। मथरा के ला–औलाद फौत होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने से द्वितीय श्रेणी के वारिस पिथा, नेमा होने से मथरा का हिस्सा इनमें सम्मिलित हो गया। सीताराम का देहांत होने से सीताराम के एकमात्र पुत्र देवीजी ही थे, देवीजी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के दो पुत्र हनुमानसिंह व छगनसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 जरिए बेचान पत्र दिनांक 05.11.1996 को दो पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा पांचीदेवी को किया गया तथा प्रतिवादी पिथा व भाई नेमा ने अपनी जायज जरूरत अनुसार विवादित भूमि में 1/16 हिस्सा का बेचान वर्तमान संशोधित शीर्षक में दर्ज प्रतिवादी संख्या 4,9,56 व नरेन्द्रसिंह तथा धर्मेन्द्रसिंह को दिनांक 01.01.1993 को बेचान किया,जो रकबा 1/16 हिस्स बराबर खसरा संख्या 344 में 14.09 बीघा व खसरा संख्या 344/1 में 2.15 बीघा कुल रकबा 17.04 बीघा भूमि का बेचान किया। प्रतिवादी का रेकर्ड में 1/4 हिस्सा रहा, उसमें से 17.04 बीघा भूमि का बेचान की गयी यानि कुल 69 बीघा भूमि में 17.04 बीघा बेचान करने पर शेष 51.16 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी,लेकिन रेकर्ड में दर्ज नहीं की गई। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल की खसरा संख्या 1420/344 व 1421/344 में प्रतिवादी को 51.16 बीघा का खातेदारी घोषित कीया जाकर वादीगण के विरूद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी के कब्जा काश्त में कोई दखल हस्तक्षेप न तो , स्वंय कारित करे और न ही अन्य किसी से करावे।

5. इसके विपरीत वादीगण ने प्रतिवादी का जवाबुल जवाब इस आंशय का प्रस्तुत कीया कि प्रतिवादी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया हैं,जो निरस्त योग्य हैं,क्योंकि प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी पीथा, नेमा पिसरान् दरगा, मथरा बेवा भोमाराम व सीताराम पुत्र हेमाराम का सयुंक्त रूप से 1/8 हिस्सा वक्त सेटलमेंट सही दर्ज हुआ था तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज थे। जिसमें सीताराम का 1/16 हिस्सा ही बनता था। सीताराम के वारिसान् हनुमानसिंह व छगनसिंह द्वारा गलत हिस्सा दर्ज बताते हुए 1/8 हिस्सा का बेचान पांचीदेवी को किया था, जबकि उसका वास्तविक हिस्सा 1/16 ही बनता था। इसी प्रकार प्रतिवादी पीथा, नेमा पिसरान दरगा व मथरा बेवा भोमाराम का वादग्रस्त भूमि में सीताराम के साथ 1/8 हिस्सा निहित था। इस प्रकार प्रतिवादी का विवादित आराजी में कोई हक–हिस्सा निहित नहीं है,जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कम हिस्सा दर्ज करने के कारण खातेदारी वाद लाया गया हैं, जो वादीगण विवादित आराजी में 5/16 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के हकदार हैं। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किया जाकर वादीगण का वाद माफिक अनुतोष वाद डिक्री फरमाया जावे।

6. चूंकि पत्रावली संलग्न दस्तावेजो तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशो के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद कारण वर्ष 1999 से उत्पन्न हुआ हैं,जिसमे लगभग 25 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हैं। अतः प्रकरण का गंम्भीरता पूर्वक अवलोकन कर माननीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रदत निर्णयों का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन किया जाकर वाद–कारण पर आधारित तनकीयात् कायम की जाकर विवेचन एवं निस्तारण किया जाना अति–आवश्यक हैं, ताकि पक्षकारान् के साथ विधि की मंशानुसार अपेक्षित निर्णय पारित किया जा सके। चूंकि न्यायिक व्यवस्था में Audi Alteram Partem (Hear Me Other Side)को निर्णय का आधार माना गया हैं। अतः न्यायालय हाजा का प्रयास है कि प्रकरण के उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसरण में समेंकित विवेचन उपरात तनकीयात कायम की जाए।

7. पत्रावली कें संलग्न समस्त दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से वक्त सेटलमेंट के समय वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का हिस्सा कम दर्ज होना बताते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 5/16 हिस्सा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष प्राप्त करने में न्यायालय हाजा में वाद लाया गया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर होकर मुकदमा संख्या 31/1999 अनवान् उकाराम बनाम अजीता वगैरा पर दर्ज हुआ तथा बाद सुनवाई वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 30.10.2009 को डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि में 5/16 हिस्सा खातेदारी घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर पांचीदेवी पत्नि शंकरलाल द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय भू–प्रंबध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की गई,जो मुकदमा संख्या 17/2011 अनवान् पांचीदेवी बनाम उकाराम वगैरा पर दर्ज रजिस्टर हुए तथा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 22.07.2011 के द्वारा अपीलांट (पांची देवी) की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रति–प्रेषित किया कि वादग्रस्त भूमि के सभी अन्य सहखातेदारान् जिन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, पक्षकार बनाया जावे तथा सभी पक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर वादीगण द्वारा द्वितिय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई,जो द्वितिय अपील मुकदमा संख्या 5791/2011 पर दर्ज रजिस्टर हुई। जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 02.02.2023 के द्वारा अपील खारिज की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर का निर्णय दिनांक 22.7.2011 यथावत रखा गया।

8. माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विवादित आराजी के सह खातेदारान को आवश्यक प्रतिवादी पक्षकार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बनाए गए। प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा पेश किया गया। जिसका प्रतिउत्तर जवाबुल–जवाब वादीगण द्वारा पेश किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा अपनी अपनी ओर से साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत किए गए।

9. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के प्रतिदावा के कथनानुसार पांच तनकीयात पूर्व मे कायम हो रखी थी तथा माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशो की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में छह ओर अतिरिक्त तनकीयात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई,जो निम्नानुसार है :–

<u>तनकी संख्या 01</u> :–आया वादीगण मौजा जसोल के खेत खसरा संख्या 344 रकबा 231.06 बीघा भूमि में 5/16 हिस्सा खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 02</u> :–आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 03</u>:–आया वादीगण ने इस दावा में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया हैं व 80 सी.पी.सी. का नोटिस न देने के कारण काबिल खारिज के है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 04</u>:–आया प्रतिवादीगण 02 ता 07 काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 05</u> :–सहायता (अनुतोष) ?

<u>तनकी सख्या 06</u>:– आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में हाथी का 3/8 हिस्सा, वादीगण का 5/16 हिस्सा इसी अनुसार मौके पर वादीगण का कब्जा–काश्त है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 07</u>:–आया वादग्रस्त भूमि में मुतवफी सीताराम के वारिसान हनुमानसिंह व छगनसिंह का 1/16 हिस्सा ही था,लेकिन रेकर्ड़ में अशुद्ध हिस्सा प्रविष्टि के कारण प्रतिवादी पांचीदेवी को 1/18 हिस्सा को बेचान विधि विरूद्ध हुआ है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 08</u>:– आया वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट पीथा, नेमा पिसारान दुर्गा व मथरा बेवा भोमा, सीताराम पुत्र हेमाराम का 1/8 हिस्सा सही इन्द्राज हुआ था ?

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

(जिम्मे–वादीगण)

तनकी संख्या 09:–आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा में लाला, हाथी का 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना का 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा व मथरा का 1/4 हिस्सा, सीताराम का 1/8 हिस्सा व पुरखा, बुधा का 1/32 हिस्सा,गोरधन,जेठा, पुनमा का 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू का 1/16 हिस्सा है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी पांची, पीथा,जसराज व धर्मेन्द्र)

तनकी संख्या 10:–आया प्रतिवादी रेकर्ड में अशुद्ध लिपिकीय त्रुटिवंश शेष 1/4 हिस्सा के खातेदार पीथा व नेमा के वारिसान खातेदारी घोषित करवानें के हकदार है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरस्ती करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी पीथा,जसराज गाविन्द व धर्मेन्द्र)

तनकी संख्या 11:–आया प्रतिवादी पांचीदेवी ने जरिए पंजीकृत दस्तावेजात हनुमानसिंह व छगनसिंह से 1/8 हिस्सा खरीद किया, जिसकी खातेदार घोषित होने एवं इसी अनुरूप रेकर्ड दुरस्त करवानें की हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी पांचीदेवी)

11 वादीगण की ओर से वाद पत्र को साबित करने के लिए वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य गवाहान् के PW.01 लेखाराम, PW.02 भंवरसिंह, PW.03 रायमलसिंह, PW.04 गोरखराम के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01–80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रति, प्रदर्श 02–80 सी.पी.सी. नोटिस की पावती रसीद, प्रदर्श 03–खतौनी बंदोबस्त सवंत 2012–2031 की प्रति, प्रदर्श 04–वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान, प्रदर्श 05 –वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2018–2022, प्रदर्श 06–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2023–2026, प्रदर्श 07–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2027–2030, प्रदर्श 08–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2031–2034, प्रदर्श 09 –वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2034–2036, प्रदर्श 10–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2037–2040, प्रदर्श 11–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2047–2050, प्रदर्श 12–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2059–2062, प्रदर्श 13 –वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2055–2058, प्रदर्श 14 व 15 खसरा बंदोबस्त की सवंत 2009–2013 की नकल प्रतिलिपि, प्रदर्श 16 व 17

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जमाबंदी सवंत 2079–2082 की नकल प्रतिलिपि, व प्रदर्श 18 पांचीदेवी के द्वारा दिनांक 05.07.2024 को बेचान–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित करवाए गए।

12 प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW.01 मिश्रीमल, DW.02 जसराज के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तवेजी साक्ष्य में प्रदर्श A-01 बेचान दस्तावेज क्रंमाक 1387/15.11.1996 हनुमानसिंह वगैरा द्वारा पांचीदेवी को किया गया, प्रदर्श A-02 बेचान दस्तावेज कमांक 1386/15.11.1996 हनुमानसिंह वगैरा द्वारा पांचीदेवी के पक्ष में,प्रदर्श A-03 बेचान इस्तावेज कमांक 1385/15.11.1996 जो हनुमानसिंह वगैरा श्रीमति पांचीदेवी के पक्ष में किया गया कि प्रमाणित प्रति,प्रदर्श A-04 नामान्तकरण संख्या 2878/11.02.2010 व प्रदर्श A-05 पर्चा खतौनी सवंत् 2006 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

13 हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की ओर से खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा हैं,जिसमें सफलता मिलने कर पूर्ण संभावना हैं। ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 344 रकबा 231.06 बीघा भूमि अवस्थित है,जो वादीगण के पूर्वजों एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज हुर्द थी। जिसमें लाला,हाथीजी पिसरान खुशालजी 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान दरगा, मथरा बेवा भोमा व सीताराम पुत्र हेमाराम 1/8 हिस्सा, पुरखा, बुधा, पिसरान् चेला 1/32 हिस्सा, गोरधन, पूनमा जेठा पिसरान हाथी 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू 1/16 हिस्सा दर्ज हुआ तथा इसीनुसार पर्चा लगान जारी हुआ। लेकिन वक्त सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल से वादीगण के पूर्वज का हिस्सा गलत दर्ज किया गया,क्योंकि वादीगण के पूर्वजो का हिस्सा 3/8 निहित था तथा उक्त हिस्सेनुसार वक्त सेटलमेंट पूर्व से आंदिनांक मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। हाथी के वारिस शंकरजी द्वारा 1/16 हिस्सा बेचान करने के कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 5/16 बनता हैं। जो वादीगण का हक हिस्सा मानते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.10.2009 के द्वारा दावा वादीगण डिक्री किया गया था। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वक्त सेटलमेंट अधिकारियों की गलती के कारण वादीगण के पूर्वज हाथी का हिस्सा 3/8 की जगह 1/16 हिस्सा दर्ज किया गया,जबकि वादीगण का हक–हिस्सा को लेकर वादीगण के दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादी पक्ष द्वारा कभी उजर–एतराज नहीं उठाया गया। प्रतिवादी पीथा,नेमा पिसरान दरगा व मथरा बेवा भोमा एवं सीताराम वल्द हेमाराम का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा सही वक्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सेटलमेंट दर्ज हुआ था। इस प्रकार सीताराम वल्द हेमाराम का 1/16 हिस्सा बनता था,लेकिन सीताराम वल्द हेमाराम के वारिसान द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत करते हुए 1/16 के स्थान पर 1/8 हिस्सा बताते हुए पांचीदेवी के पक्ष में बेचान कीया गया,ऐसा हिस्सा से अधिक बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। इसी प्रकार पीथाराम व जसराज,गोविन्दसिंह का 1/16 हिस्सा था, जिन्होने अपनी भूमि का बेचान आगे धर्मेन्द्रकुमार व हरीसिंह वगैरा को कर दिया हैं,इस प्रकार सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने के कारण इनका अब विवादित भूमि में कोई हक–हिस्सा नहीं रहा है और न ही प्रतिवादी का मौके पर कोई कब्जा–काश्त हैं। जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूमि 5/16 हिस्सा पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं तथा वादीगण की ओर से अपने गवाह PW.01 लेखाराम, PW.02 भंवरसिंह, PW.03 रायमलसिंह, PW.04 गोरखराम के बयानात् एवं प्रदर्श दस्तावेज से भी साबित किया है कि सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से वादीगण के पूर्वज का गलत हिस्सा दर्ज हुआ था। पर्चा लगान के हिस्सों का मिलान करने पर भी एक इकाई नहीं बनती हैं,क्योंकि 1/4 हिस्सा वादीगण के हक–पूर्वाधिकारी हाथी का कम दर्ज किया था। इस कारण 1/4 हिस्सा वादीगण का घोषित किये जाने पर एक इकाई समान होते हुए कुल भूमि में वादीगण का 5/16 हिस्सा बनेगा। अपनी बहस को जारी रखते हुए वादीगण अधिवक्ता ने आगे ओर निवेदन कीया कि प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श पर्चा लगान सेटलमेंट पूर्व का बना हुआ है। जबकि सेटलमेंट संवत 2012 मे हुआ था,जिसका दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रदर्शित करवाया गया हैं। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श पर्चा लगान का कोई वजूद नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में वक्त सेटलमेंट अधिकारीयों की गलती से हाथी का 1/4 हिस्सा पृथक से दर्ज करने से रह गया था, यदि हाथी का 1/4 हिस्सा पृथक से अकंन कर लेते, तो विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती,लेकिन सेटलमेंट विभाग की भूल से लाला, हाथी पिसरान खुशालजी 1/4 हिस्सा सयुंक्त दर्ज करने से विवाद की स्थिति पैदा हुई। उक्त 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण ही काबिज हैं,लेकिन रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद लाया गया हैं। अंत में निवेदन किया कि ग्राम जसोल की खसरा संख्या 344 रकबा 231.06 बीघा भूमि में वादीगण को 5/16 हिस्सा खातेदारी घोषित की जावें तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादीगण के कब्जा–काश्त में दखलदांन्जी नहीं करें।

14 इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादीगण का वाद–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि सरहद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मौजा जसोल में वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 344 एवं अन्य भूमियां खसरा संख्या 345, 346, 347, 757, 758, 824/1, 843, 844, 856 मौजा जसोल में अवस्थित रही हैं। मौजा जसोल के खसरा संख्या 344 का मूल रकबा 276.01 बीघा रहा है,तदोपरांत उक्त खसरा के तरमीम खसरान बनने से दो भागों में उक्त भूमि विभक्त हुई,जिनमें खसरा संख्या 344 वर्तमान नये खसरा संख्या 1420/344 का रकबा 231.06 बीघा (37.4415 हैक्टेयर) व 344/1 वर्तमान खसरा संख्या 1421/344 रकबा 44.15 बीघा (7.2439 हैक्टेयर) बना। उपरोक्त भूमि में वक्त सेटलमेंट काबिज खातेदारान का हिस्सा पर्चा खतौनी संवत् 2006 सन् 1949 अनुसार निम्न प्रकार से था:–लाला,हाथी पिसरान खुशाल 1/4 हिस्सा ,लक्ष्मण वल्द बना 1/4 हिस्सा ,पीथा, नेमा पिसरान दरगा व मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा सीताराम पुत्र हेमाराम 1/8 हिस्सा,पुरखा बुधा पिसरान चेला 1/32 हिस्सा,गोरधन, जेठा, पूनमा पिसरान हाथी 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू 1/16 हिस्सा हुआ था तथा इसी अनुसार खतौनी में दर्ज अंकित किया जाना था,किन्तु लिपिकिय त्रुटिवंश प्रतिवादी पिथा व प्रतिवादी जसराज, गोविन्दसिंह, धर्मेन्द्रसिंह के पिता नेमा व मथरा बेवा भोमा, सीताराम पुत्र हेमाराम का जो हिस्सा 1/4+ 1/8 दर्ज होना चाहिए था,लिपिकिय त्रुटि से 1/4 हिस्सा आगामी खतौनी की प्रविष्टि में दर्ज नहीं होकर उपरोक्त सभी का हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया,इस कारण पिथा, नेमा मथरा का जो 1/4 हिस्स दर्ज नहीं होने से लिपिकिय त्रुटिवंश सीताराम के साथ उनका नाम दर्ज कर देने से विवाद की स्थिति हुई। मथरा बेवा भोमा का देहांत ला–औलाद हो जाने से मथरा का हिस्सा प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने से द्वितीय श्रेणी के वारिस पिथा, नेमा होने से मथरा का हिस्सा पिथा, नेमा में मर्ज हो गया। सीताराम का देहांत होने से सीताराम के एकमात्र पुत्र देवीजी ही थे, देवीजी के देहांत के बाद उनके वारिसान हनुमानसिंह, छगनसिंह पुत्र देवीजी से पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.11.1996 को दो पंजीकृत दस्तावेज के बेचान किया और उसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रतिवादी पिथा व पिथा के भाई नेमा जो प्रतिवादी जसराज, धर्मेन्द्रसिंह, गोविन्दसिंह के पिता है ने अपनी जायज जरूरत अनुसार उपरोक्त भूमियों में से 1/16 हिस्सा की भूमि का बेचान वर्तमान संशोधित शीर्षक में दर्ज प्रतिवादी संख्या 4, 09, 56 व नरेन्द्र सिंह तथा धर्मेन्द्रसिंह को दिनांक 01.01.1993 को बेचान किया जो रकबा 1/16 हिस्सा बराबर खसरा संख्या 344 में 14.09 बीघा व खसरा संख्या 344/1 में 02.15 बीघा कुल 17.04 बीघा भूमि का बेचान किया गया। प्रतिवादी का रेकर्ड में 1/4 हिस्सा रहा,उसमें से 17.04 बीघा भूमि बेचान की गयी यानि कुल .69 बीघा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण के खातेदारी की हुई, उक्त 69 बीघा भूमि में से 17.04 बीघा भूमि बेचान करने पर शेष 51.16 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु जमाबंदी में प्रतिवादी के नाम कोई हिस्सा दर्ज नहीं हैं, इस कारण प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों पर संशय का आवरण व्याप्त हो गया हैं, ऐसी स्थिति में जमाबंदी में दर्ज लिपिकिय त्रुटि की दुरूस्ती माफिक पर्चा खतौनी संवत् 2006 के अनुसार जरिए घोषणात्मक अनुतोष प्राप्ति करने के प्रतिवादी हकदार है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि रेकर्ड जमाबंदी में पिथा, नेमा व मथरा का जो 1/4 हिस्सा था वो दर्ज नहीं था, इस कारण वादीगण की नियत में लालच वंश हिस्सा हड़प करने की हुई,जबकि खुशालजी का 1/4 हिस्सा था,खुशालजी के दो पुत्रान लालाराम व हाथीजी थे,जिनका प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा था, तदोपरांत लालाजी का देहांत हुआ,तो लालाजी का उक्त 1/8 हिस्सा नरसिंग व अजीता को आधा–आधा यानि प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्सा था, वादीगण मंशाजी के पुत्रान होने से वादीगण का मात्र 1/16 हिस्सा ही हैं, जबकि वतर्मान वाद में एकपक्षीय रूप से गलत तथ्य न्यायालय में बताकर मिलावटी राजीनामा खुशालजी के परिवार के सदस्यों ने ही न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली और ऐसी डिक्री के आधार पर रेकर्ड में गलत अंकन करवाते हुए प्रतिवादी का नाम रेकर्ड से हटा दिया, जबकि उपरोक्त खसरान में कुल 51.16 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारीर की शेष हैं। रेकर्ड में लिपिकिय त्रुटिवंश गलत हिस्से दर्ज होने से वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में अनुचित रूप से दखल, हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए वादीगण को ऐसा करने से रोकने हेतु व रेकर्ड में हुई त्रुटि के दुरूस्ती के लिये घोषणा करवाने के अनुतोष का जारी करने हेतु प्रतिपवाद प्रस्तुत किया जा रहा है कि वर्तमान खसरा संख्या 12420/344 रकबा 37.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1421/344 रकबा 7.2439 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण पीथा को एवं नेमा के वारिसान धर्मेन्द्रसिंह, गोविन्दसिंह, जसराज को 51.16 बीघा का खातेदार घोषित कर उक्त 51.16 बीघा भूमि के उपयोग–उपभोग में कोई दखल, हस्तक्षेप, बांधा, न तो वादीगण स्वंय कारित करें और न हीं अन्य किसी से कारित करावें। प्रतिपवाद का हेतुक प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध वाद में एकपक्षीय रूप से मिलावटी डिक्री दिनांक 30.10.2009 को प्राप्त करने ऐसे तथ्यों की जानकारी प्रथम बार प्रतिवादीगण को होने पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 5191/2011 प्रस्तुत अपील में पक्षकार में जोड़ने का आवेदन करने, जिसमें पक्षकार जोड़ने उक्त अपील दिनांक 02.02.2023 को खारिज करने, तदोपरांत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका प्रस्तुत करने, उक्त रिट याचिका संख्या 3802/2023 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 03.07.2023 को वादपत्र इस निर्देश के साथ खारिज करने की मूलवाद एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारण किया जावें से उत्पन्न हुआ,जो अभी प्रभावी है। अंत में निवेदन किया कि प्रतिपवाद प्रतिवादी पांचीदेवी व पीथा,जसराज, धर्मेन्द्रसिंह, गोविन्दसिंह, स्वीकार कर सरहद मौजा जसोल के खसरा संख्या 1420/344 रकबा 37.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1421/344 रकबा 7.2439 हैक्टेयर में प्रतिवादी पांचीदेवी की खरीद शुदा 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी पीथा, जसराज, धर्मेन्द्रसिंह, गोविन्दसिंह को 51.16 बीघा का खातेदारी घोषित कर रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें एवं वादीगण को इस आंशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निर्वारित किया जावें कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल, हस्तक्षेप न तो स्वंय कारित करें, और न ही अन्य किसी से करावें।

15 हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात,बयानात व हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री एवं माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

<u>तनकी संख्या 1 व 6:–</u> सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से बेचने के लिए उक्त दोनो तनकीयात का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :–आया वादीगण मौजा जसोल के खेत खसरा संख्या 344 रकबा 231.06 बीघा भूमि में 5/16 हिस्सा खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी सख्या 06:–</u> आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में हाथी का 3/8 हिस्सा, वादीगण का 5/16 हिस्सा इसी अनुसार मौके पर वादीगण का कब्जा–काश्त है ?

(जिम्मे–वादीगण)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW.01 से PW.04 के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। वादी PW.01 लेखाराम ने बयानात् में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक वादीगण के हकपूर्वाधिकारी लाला, हाथी पिसरान् खुशालजी व उसके

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बाद वादीगण का 3/8 हिस्सा पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। सेटलमेंट के समय लाला, हाथी पिसरान् खुशाला का 3/8 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। इस कारण वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा इकाई का मिलान करने पर 3/4 हिस्सा बनता हैं,जबकि शेष 1/4 हिस्सा,जो हाथी के नाम दर्ज होना चाहिए था, जो सहवन से रह गया था, जबकि वादीगण का मौके पर कब्जा–काश्त 3/8 हिस्सेनुसार आदिनांक चला आ रहा हैं। लेकिन सेटलमेंट विभाग की गलती के कारण वादीगण का कम हिस्सा दर्ज हुआ हैं। प्रतिवादी पीथा, नेमा पिसरान् दरगा, मथरा बेवा भोमा व सीताराम पुत्र हेमाराम का 1/8 हिस्सा वक्त सेटलमेंट सही दर्ज हुआ था। सीताराम के वारिसान् हनुमान सिंह वगैरा द्वारा 1/16 हिस्सा होने के उपरांत 1/8 हिस्सा गलत बताते हुए पांचीदेवी को बेचान कीया हैं तथा पीथाराम वगैरा द्वारा भी अपना 1/16 हिस्सा का बेचान कर दिया हैं,इनका अब वादग्रस्त भूमि में कोई हक–हिस्सा व कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 3/8 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावें। PW.02 भंवरसिंह पुत्र अजीत सिंह ने भी अपने बयान में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 3/8 हिस्सा पर कब्जा–काश्त होना बताया तथा नेमा, पीथा, वगैरा का 1/8 हिस्सा वक्त सेटलमेंट सही होना दर्ज बताया गया। वादीगण का माफिक दावा डिक्री करने का समर्थन किया गया। इसी प्रकार PW.03 रायमल सिंह पुत्र लूम्बाजी व PW.04 गोरखाराम पुत्र गंगाराम द्वारा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 3/8 हिस्सा पर कब्जा–काश्त होना बताया गया और वादीगण का माफिक अनुतोष 3/8 हिस्सा खातेदारी घोषित करवानें हेतु बयानात् दिए गए। हमनें पत्रावली क अवलोकन व अध्ययन किया। पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किया। उक्त तनकी में वादीगण को साबित करना है कि वादीगण का वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त भूमि में 5/16 हिस्सा पर कब्जा–काश्त था तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त रेकर्ड़ संधारण 5/16 के स्थान पर 1/4 हिस्सा गलत दर्ज किया हैं।

वादी पक्ष गवाह PW.01 से PW.04 ने अपने–अपने बयानात् व दौराने जिरह में मौखिक कथन किए है कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से वादीगण के हक–पूर्वाधिकारी लाला, हाथी, पिसारान् खुशालजी का कुल भूमि में 3/8 अर्थात कुल भूमि में 5/16 हिस्सा पर काबिज थे। वक्त सेटलमेंट के समय वादीगण के पूर्वज हाथी का 1/4 हिस्सा अलग से दर्ज करने के बजाय लाला, हाथी, पिसारान् खुशालजी 1/4 हिस्सा संयुक्त दर्ज कर किया गया,इस कारण वादग्रस्त भूमि की कुल हिस्सा इकाई का मिलान करने पर 3/4 हिस्सा बनता हैं और 1/4 हिस्सा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कम दर्ज हुआ, जो कि वादीगण के पूर्वज हाथी का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, जो सहवन से दर्ज नहीं हुआ। अपने बयानात् के समर्थन मे प्रदर्श 08 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031, प्रदर्श–04 वादगस्त भूमि का पर्चा लगान, प्रदर्श –06 से 10 वादग्रस्त भूमि की चौसाला जमाबंदी, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2059 से 2062, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2055–2058, प्रदर्श–14 व 15 खसरा मिलान, प्रदर्श 16 जमाबंदी सवंत् 2079–2082 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। विवादित भूमि का पर्चा लगान,जो कि प्रदर्श–04 हैं,जिसमें लाला, हाथी पिसरान् खुशाला हिस्सा 1/4, लक्ष्मण वल्द वना 1/4 हिस्सा, पीथा,नेमा पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भोमा, सीताराम वल्द हेमा हिस्सा 1/8, पुरखा, बुधा पिसरान् चौथा हिस्सा 1/32, गोरखा, पूनमा,जेठा पिसरान् हाथी हिस्सा 1/32, पीथा वल्द राजू हिस्सा 1/16, कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त पर्चा लगान के हिस्सा मिलान करने पर एक इकाई सम्मान नहीं बनकर 3/4 हिस्सा बनता हैं। जो वादीगण कम दर्ज 1/4 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवानें का अनुतोष चाहा है,लेकिन वादीगण पक्ष की ओर से वाद–पत्र के समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य यथा–गिरदावरी पेश नहीं कर पाए, जिससे यह साबित होता है कि वादीगण का वक्त सेटलमेंट से आदिनांक 3/8 हिस्सा पर कब्जा–काश्त हैं। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद–पत्र को साबित करने के लिए केवल मात्र मौखिक कथन किए हैं,मौखिक कथनो के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती हैं,क्योंकि उसमें समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य होना अति–आवश्यक होता हैं। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य केवलमात्र पर्चा लगान प्रदर्श–04 के इन्द्राज की प्रविष्टिया को दोहराने की प्रस्तुत की गई हैं। जो कि अपने आप में रेकर्ड़ संधारण की प्रक्रिया दस्तावेज हैं। वादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कीया गया, जिससे यह साबित हो, कि लाला, हाथी पिसरान् खुशालजी का 1/4 हिस्सा न होकर 3/8 हिस्सा होना चाहिए था। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श A-4 पर्चा खतौनी संवत 2006 अवलोकन से स्पष्ट साबित होता हैं, कि वादीगण के पूर्वजो का वक्त सेटलमेंट सही हिस्सा दर्ज हुआ हैं और प्रतिवादी पीथा नेमा पिसरान् दुरगा व मथरा बेवा भोमा का 1/4 हिस्सा होने के उपरांत सेटलमेंट विभाग द्वारा तत्समय रेकर्ड संधारण करते समय इनका हिस्सा विलोपित करते हुए सीताराम वल्द हेमा के साथ नाम अंकन किया गया। उक्त गलत प्रविष्टि इंन्द्राज के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुए,जो कि एक गणितीय त्रुटि हैं। इसी प्रकार वादी गवाह जिरह में PW.01 लेखाराम ने स्वीकार किया हैं, कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 5/8 हिस्सा पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कब्जा–काश्त हो,ऐसी गिरदावरी संवत् 2010–2040 तक की पत्रावली में पेश नहीं की गई तथा यह भी स्वीकार कीया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 3/8 या 5/16 हिस्से पर कब्जा–काश्त हो, ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। इसी प्रकार वादीगण गवाहान PW.2 से 4 गवाह ने भी यही तथ्य दोहराए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी वादीगण अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 02 :–आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे–वादीगण)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूंकि तनकी संख्या 01 वादीगण साबित नहीं कर पाए हैं। वादीगण की ओर से अनुतोष चाहा गया कि वादीगण की बाद खातेदारी घोषणा के वादीगण के कब्जा–काश्त के दखलदांजी प्रतिवादी नहीं करें। लेकिन वादीगण यह साबित करने में सफल नहीं रहे हैं,कि प्रतिवादी द्वारा उनके कब्जा–काश्त में कभी दखलदांजी की हो। वादीगण के मौखिक कथनों के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य होना आवश्यक होता हैं। केवलमात्र मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं,उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भली–भांति साबित होना आवश्यक हैं। ऐसी सूरत में उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 03 – आया वादीगण ने इस दावा में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया हैं व 80 सी.पी.सी. का नोटिस न देने के कारण काबिल खारिज के है ?

(जिम्मे–वादीगण)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है। चूंकि दावा प्रस्तुतीकरण के समय प्रतिवादी संख्या 01(अजीता) द्वारा वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने पर तत्समय तनकीयात बिन्दू कायम हुआ था तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा भी प्रस्तुत कीया था। हस्तगत प्रकरण माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के बाद पुनः दर्ज की रजिस्टर होकर सपूंर्ण कार्यवाही हुए। जिसमें प्रतिवादी अजीता द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किए जाने के कारण उक्त तनकी का कोई औचित्य नहीं होने के कारण उक्त तनकी इसी स्तर पर निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 04:–आया प्रतिवादीगण 02 ता 07 काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 2 से 4)

उक्त तनकी को साबित करने का भार दावा प्रस्तुतीकरण के समय प्रतिवादी संख्या 02 से 07 पर था। चूंकि दावा प्रस्तुतीकरण के समय उक्त प्रतिवादी के वादीगण का वाद अस्वीकार कर जवाबदावा पेश किए जाने पर उक्त तनकी कायम हुई थी। तत्पश्चात् मूलवाद का निर्णय 30.10.2009 को हो गया था। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील होने के बाद प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर होकर सम्पूर्ण कार्यवाही हुए। उक्त प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण उक्त तनकी का कोई औचित्य नहीं होने के कारण उनके विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 05 :–सहायता (अनुतोष) ?

उक्त तनकी पर विवेचन किए जाने की न्यायालय हाजा आवश्यकता नहीं समझता है।

तनकी संख्या 07 व 8:– सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से बेचने के लिए उक्त दोनो तनकीयात का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

तनकी संख्या 07:–आया वादग्रस्त भूमि में मुतवफी सीताराम के वारिसान हनुमानसिंह व छगनसिंह का 1/16 हिस्सा ही था,लेकिन रेकर्ड़ में अशुद्व हिस्सा प्रविष्टि के कारण प्रतिवादी पांचीदेवी को 1/8 हिस्सा को बेचान विधि विरूद्व हुआ है ?

(जिम्मे–वादीगण)

तनकी संख्या 08:– आया वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट पीथा, नेमा पिसाराँन दुर्गा व मथरा बेवा भोमा, सीताराम पुत्र हेमाराम का 1/8 हिस्सा सही इन्द्राज हुआ था?

(जिम्मे–वादीगण)

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादी पक्ष पर हैं। वादी पक्ष ने अपने वाद–पत्र व बयानात् में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी पीथा,नेमा, पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भोमा, सीताराम वल्द हेमा हिस्सा 1/8 सही दर्ज हुआ था तथा इनका कब्जा भी उक्तानुसार था। इस प्रकार सीताराम वल्द हेमाराम का 1/16 सही दर्ज हुआ था। इस प्रकार सीताराम वल्द हेमाराम का 1/16 हिस्सा ही बनता था, लेकिन सीताराम के वारिसान् हनुमानसिंह व छगनसिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर अपना 1/8 हिस्सा बताते हुए पांचीदेवी को विधि–विरूद्व बेचान किया हैं। उक्त तनकी को साबित करने के लिए वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पक्ष द्वारा प्रदर्श–4 पर्चा लगान में इन्द्राज प्रविष्टि को मुख्य आधार लिया हैं,जबकि सेटलमेंट अधिकारी द्वारा जारी पर्चा खतौनी गांव जसोल पट्टा ठिकाना जसोल संवत् 2006 का अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता हैं कि वादग्रस्त भूमि में पीथा, नेमा एवं दुरगा, मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा व सीताराम वल्द हेमा 1/8 हिस्सा अंकन हैं। उक्त प्रविष्टि के आधार पर ही पर्चा लगान में प्रविष्टि अंकन होनी थी, लेकिन सेवन से पीथा,नेमा पिसरान दुरगा, मथरा बेवा भोमा व सीताराम वल्द हेमाराम 1/8 दर्ज किया गया। पीथा, नेमा वगैरा हिस्सा 1/4 विलोपित कीए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। उक्त सेटलमेंट विभाग की गणितीय त्रुटि के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुई है। न्यायालय हाजा का मानना है कि यह केवलमात्र गणितिय त्रुटि के कारण ही सही हिस्सा दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा हुआ हैं। यदि पर्चा खतौनी संवत 2006 के आधार पर पर्चा लगान जारी हुआ होता, तो आज विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती। इस कारण रेकर्ड संधारण कार्य बहुत ही गम्भीरतापूर्वक राजस्व कर्मचारी/अधिकारी को किया जाना चाहिए। रेकर्ड संधारण कार्य को पारदर्शिता एवं गम्भीरता से किए जाने पर त्रुटि होने की संभावना शून्य के समान रहती हैं,जिसके कारण खातेदारान में विवाद पैदा होना का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इस प्रकार तनकी संख्या 07 व 08 वादीगण साबित करने में असफल रहने के कारण उनके विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 9 व 10:– तनकी संख्या 09 व 10 एक दूसरे के परस्पर आश्रित होने के कारण एक साथ विवेचन किया जाना उचित समझते है:–

तनकी संख्या 9:– आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा में लाला, हाथी का 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना का 1/4 हिस्सा,पीथा, नेमा व मथरा का 1/4 हिस्सा, सीताराम का 1/8 हिस्सा व पुरखा, बुधा का 1/32 हिस्सा,गोरधन,जेठा, पुनमा का 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू का 1/16 हिस्सा है ?

(जिम्में–प्रतिवादी पांची, पीथा,जसराज व धर्मेन्द्र)

की संख्या 10:–आया प्रतिवादी रेकर्ड में अशुद्ध लिपिकीय त्रुटिवंश शेष 1/4 हिस्सा के खातेदार पीथा व नेमा के वारिसान खातेदारी घोषित करवानें के हकदार है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरस्ती करवाने के हकदार है ?

(जिम्में–प्रतिवादी पीथा,जसराज गाविन्द व धर्मेन्द्र)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 पर हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाही में DW.01 व DW.02 के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1 से A4 करवाए गए। प्रतिवादी गवाह DW.01 मिश्रीमल ने बयान में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में सीताराम पुत्र हेमाराम का 1/8 हिस्सा निहित था,सीताराम के वारिसान् हनुमानसिंह व छगनसिंह ने दो अलग-अलग दस्तावेज के जरिए दिनांक 05.11.1996 को पांचीदेवी को भूमि बेचान की गई तथा वक्त खरीद से आदिनांक पांचीदेवी का 1/8 हिस्सा का कब्जा-काश्त चला आ रहा हैं,लेकिन रेकर्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने के कारण वादीगण द्वारा वाद लाया गया हैं, जबकि वादीगण का 1/4 हिस्सा पर कब्जा-काश्त कभी नहीं रहा हैं। DW.02 गवाह जसराज पुत्र नेमाजी ने अपने बयानात् में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में पीथा, नेमा पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा था। मथरा के फौत होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस कोई नहीं होने से मथरा के द्वितीय श्रेणी के वारिस पीथा,नेमा होने से मथरा का हिस्सा उनमें निहित हो गया। इस प्रकार पीथा,नेमा पिसरान् दुरगा का 1/4 हिस्सा हैं और इसी अनुसार मौके पर काबिज है,लेकिन रेकर्ड में गलत हिस्सा इन्द्राज होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुआ। वादीगण का 1/4 हिस्सा पर न ही कब्जा-काश्त हैं और वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश करने के कारण खरिज किया जाकर प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार कीया जावें। प्रतिवादी गवाह मिश्रीमल व जसराज ने अपने बयानात् में मुख्य आधार पर्चा खतौनी संवत् 2006 को बताते हुए पर्चा लगान उसी अनुरूप दर्ज होने का जोर दिया गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादी गवाह से लम्बी जिरह की गई, लेकिन गवाहान् को उनके बयानात् से विचलित नहीं कर पाए अर्थात् गवाह अपने बयानात् पर कायम रहे। जिसमें सामना आया कि वादग्रस्त भूमि की पर्चा खतौनी सवंत् 2006 कायम हुई और जिसमें पक्षकारान् का हिस्सा मिलान करने पर एक इकाई बनती हैं,जिसमें लाला, हाथी पिसरान् खुशाल 1/4 हिस्सा, लिछमण वल्द वना 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान् दरगा, मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा, सीताराम वल्द हेमा 1/8 हिस्सा, पुरखा, बुधा पिसरान् चेला 1/32 हिस्सा, गोरधन, जेठा, पूनमा पिसरान् हाथी 1/32 हिस्सा व पीथा वल्द राजू 1/16 हिस्सा कौम पुरोहित साकिन देह डोलीदार दर्ज हैं। उक्त पर्चा खतौनी सेटलमेंट अधिकारी द्वारा जारी कि गई हैं,जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्शित प्रदर्श A04 है,जो कि सरकारी दस्तावेज हैं। इस प्रकार यह भली-भांती स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज के आधार पर ही खतौनी बंदोबस्त में प्रविष्टिया दोहरानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

थी,लेकिन सेटलमेंट विभाग की मानवीय त्रुटि से पीथा, नेमा वगैरा हिस्सा 1/4 दर्ज पृथक से करने से रह गया और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार वादीगण वकील का यह तर्क मानने योग्य नहीं हैं, कि प्रदर्श A04 दस्तावेज सेटलमेंट पूर्व से जारी होने के कारण उनकी अहमियत नहीं हैं। जबकि विवादित भूमि के हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करने मे प्रदर्श A-4 दस्तावेज ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पक्षकारान् के विवाद का मुख्य बिन्दु 1/4 हिस्सा,जो वक्त सेटलमेंट रेकर्ड संधारण के समय दर्ज होने से रह गया था, उनको लेकर ही पक्षकारान् के मध्य विवाद हैं, जो कि प्रदर्श A-4 दस्तावेजात से प्रमाणित है कि उक्त दस्तावेज में पक्षकारान के सही हिस्से दर्ज हो रखे हैं और इसी अनुरूप खतौनी बंदोबस्त में प्रविष्टि अंकन करनी थी,जो कि सहवन से नहीं हो पाई। इसी प्रकार वकील वादीगण का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं हैं कि प्रतिवादी पीथा, नेमा द्वारा 1/16 हिस्सा बेचान करने के कारण विवादित भूमि में उनका हक–हिस्सा नहीं हों। क्योकि रिकॉर्ड में अशुद्व प्रविष्टि के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी हक समाप्त नहीं हो जाते है। इस प्रकार विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हों, वहां मौखिक साक्ष्य महत्वहीन हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा भू–प्रंबंध प्रक्रिया के दौरान भी जाने वाली कार्यवाही के अधिकारों के संबंध में न्यायिक निर्णय प्रदत किए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

1.विशनसिंह बनाम् मगन सिंह 2001 (1) RRT 596/2001 RRD 60

2.फूलचंद बनाम श्रीमति शीला 2006 RRD 275 सारांशतः उक्त समस्त प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित है कि भू–प्रंबंध द्वारा पूर्व में की गई प्रविष्टियों को ही एक समान रूप से दोहराव करना होता हैं, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टियों में बदलाव का अधिकार भू–प्रंबंन्ध विभाग को नहीं हैं। क्योंकि रिकॉर्ड में अशुद्ध प्रविष्टि के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी हक समाप्त नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार पीथा, नेमा व मथरा का 1/4 हिस्सा था उक्त सुस्थापित सिद्धान्त के आधार पर यह परिकल्पना की जानी उचित है कि भू–प्रंबध प्रक्रिया के दौरान पर्चा खतौनी में किया गया अकंन सत्य हैं।

उक्त पर्चा खतौनी के आधार मानते हुए खतौनी बंदोबस्त इत्यादि संधारण किया जाना था, लेकिन तत्समय सेटलमेंट विभाग की गलती से प्रतिवादी पीथा, नेमा पेसरान् दुरगा व मथरा बेवा भोमा 1/4 हिस्सा अंकन नहीं करते हुए सीताराम ल्द हेमा हिस्सा 1/8 के साथ सयुंक्त खातेदारी दर्ज की गई,जो कि पत्रावली र उपलब्ध राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात एवं बयानात् इत्यादि से साबित होता हैं,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कि उक्त प्रविष्टि गलत अंकन हुए हैं। इसी प्रकार यह भली–भांति सावित है कि वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध लिपीकीय शेष हिस्सा 1/4 पीथा, नेमा के वारिसान् अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार हैं,क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के उसमें परिवर्तन कर खातेदारी को कम करना न्यायसंगत एव विधि सम्मत् नहीं ठहराया जा सकता हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी प्रतिवादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 11:–आया प्रतिवादी पांचीदेवी ने जरिए पंजीकृत दस्तावेजात हनुमानसिंह व छगनसिंह से 1/8 हिस्सा खरीद किया, जिसकी खातेदार घोषित होने एवं इसी अनुरूप रेकर्ड दुरस्त करवानें की हकदार है ?

(जिम्में–प्रतिवादी पांचीदेवी)

इस विवादयक बिन्दु को साबित कने का भार प्रतिवादी पांचीदेवी पर हैं। चूंकि पूर्व में तनकीयात में विस्तृत विवेचन के उपरांत साबित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि में लिपिकीय त्रुटिवंश शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नेमा, पीथा के वारिसान का हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि सीताराम वल्द हेमा के साथ पीथा, नेमा पिसरान् दुरगा, मथरा बेवा भोमा के नाम की प्रविष्टि लिपीकीय त्रुटिवंश दर्ज हुई थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में सीताराम वल्द हेमाराम का 1/8 हिस्सा था और सीताराम के वारिस देवीजी थें, जिनके पुत्र हनुमानसिंह व छगनसिंह ने दो अलग–अलग बेचान दस्तावेज दिनांक 05.11.1996 के द्वारा 1/8 हिस्सा का बेचान पांचीदेवी को किया गया,जो पत्रावली के सलंग्न प्रदर्श A 1A से A 3A से होता हैं। प्रदर्श A4 नामान्तकरण संख्या 2878 अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पांची देवी का 1/8 हिस्सा हैं। इस प्रकार यह भली–भांती साबित है,कि वादग्रस्त भूमि में सीताराम वल्द हेमा का 1/8 हिस्सा निहित था,जो उसके फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ और उन द्वारा आगे पांचीदेवी को बेचान किया गया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रतिवादी पांचीदेवी अपनी उक्त तनकी साबित करने में सफल रहने के कारण उक्त तनकी उनके पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01, 02 व 6 से 8 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा प्रतिवादी अपने पक्ष में कायम तनकी संख्या 09 से 11 को साबित करने में सफल रहे हैं। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादीगण वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01,02 व 6 से 8 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 (पांचीदेवी व पीथा व नेमा के वारिसान्) का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल की खसरा संख्या 1420/344 क्षेत्रफल 37.4415 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1421/344 क्षेत्रफल 7.2439 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी पांचीदेवी के खरीद शुदा 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 59 से 62 (पिथा व नेमा के वारिसान्) को 1/4 हिस्सा अर्थात 69 बीघा,जिसमें से 1/16 हिस्सा अर्थात 17.04 बीघा भूमि का बेचान करने के कारण शेष रकबा 51.16 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हों। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें।

24/09/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 24/09/2025